न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 156/2015 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2015/00120

हरिओम मेवाड़ा आत्मज श्री मथुरालाल जाति कलाल निवासी उदपुरा तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार चेचट जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 29.06.2015 मि0नं0 12/2015 न्यायालय उप तहसीलदार चेचट, जिला कोटा

उपस्थिति

1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः–12.10.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट ने ग्राम उदपुरा की भूमि खसरा नम्बर 56 की 0.02 हे0 में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 12/2015 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 50/– रूपये की शास्ति के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 29.06.2015 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 14.10.2015 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा स्पष्ट रूप से जवाब प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलांट द्वारा यह वर्णित किया गया था कि ख0नं0 56 की रकबा 0.15 हे0 भूमि गेर मुमकिन आबादी है और उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु छोडी गई है जिसका नोट खसरा गिरदावरी में भी अंकित है । उक्त भूमि पर संपूर्ण रूप से आबादी बसी हुई है और उक्त आबादी भूमि ग्राम पंचायत खैराबाद के क्षैत्राधिकार में आती है । ग्राम पंचायत खैराबाद द्वारा उक्त भूमि पर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 230 के तहत अपीलांट को पट्टा देने की कार्यवाही कर रखी है । पट्टा मौका मुआयना शुल्क भी पंचायत समिति खैराबाद द्वारा जमा करवा लिया गया है । उपरोक्त वर्णित चरण संख्या 3 के अनुसार उक्त भूमि चारागाह भूमि नहीं है । तहसीलदार केवल चारागाह भूमि के संबंध में ही 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही करने हेतु सक्षम है । उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गई है तथा नामान्तकरण संख्या 1989 से आबादी विस्तार हेतु रिकार्ड दर्ज है । यदि कोई

जिला कलेक्टर

कार्यवाही अपीलांट के विरूद्व की जानी है तो वह कार्यवाही पंचायत करने हेतु सक्षम है, इसलिये तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही क्षैत्राधिकार से बाधित होने के कारण उक्त कार्यवाही शून्य है । अपीलान्ट का वर्तमान में उक्त भूमि पर मकान बना हुआ है और उक्त भूमि पर आस पास पूर्ण रूप से आबादी विकसित हो चुकी है, ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जा रही है । उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 8.10.2015 को बेदखल करने हेतु कर्मचारी आने पर प्राप्त हुई है और उसी दिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 8.10.2015 को नकल प्राप्त की । नकल प्राप्ति की दिनांक से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.6.2015 को अपास्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया राजकीय अभिभाषक उपस्थित। वकील अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपील प्रस्तुत की गई है वह सिवायचक, चारागाह की नहीं होकर आबादी की भूमि है जो आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत के नाम दर्ज रेकार्ड है । आबादी की भूमि में अतिक्रमण की धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए नायब तहसीलदार /तहसीलदार सक्षम नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही विधि सम्मत नहीं होने पारित निर्णय दिनांक 29.6.2015 निरस्त फरमाया जावें ।

5. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर नियमानुसार अतिक्रमण पाया जाने पर कार्यवाही की गई है जो उचित है ।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.06.2015 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 14.10 2015 को पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 29.06.2015 के निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 08.10.2015 को होना बताते हुऐ विलम्ब को माफ कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय अपीलान्ट के शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करने के बताए गये कारणों के आधार पर एवं न्यायहित को ध्यान में रखते हुए धारा 5 लिमिटेशनन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अवधि मध्य मानी जाती है। यदि कोई विलम्ब हुआ भी है तो वह क्षम्य है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम उदपुरा के ख0नं0 56 की रकबा 0.02 हे0 मु0मु0 आबादी संवत 2072 खरीफ में हरिओम मेवाडा आत्मज मथुरालाल कलाल निवासी उदपुरा ने अवैध कब्जा कर निमार्ण कर लिया है । जिस पर अपीलांट के विरूद्व बेदखली करते हुए 50/– रूपये का जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्क से हम सहमत है कि ग्राम पंचायत के नाम आबादी विस्तार हेतु दर्ज भूमि ग्राम पंचायत की आबादी की भूमि होकर अतिक्रमण की कार्यवाही करने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम है । चूंकि आबादी विस्तार हेतु भूमि दर्ज रिकार्ड होने उपरान्त नियमन एवं पट्टा जारी करने सम्बन्धी कार्यवाही ग्राम पंचायत स्तर से ही की जानी होती है । उक्त विवादित भूमि में निर्मित मकान का पट्टा प्राप्त करने के लिए अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर पट्टा मौका मुआयना शुल्क जमा हुआ है जिसकी रसीद अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिससे यह साबित होता है कि इस भूमि पर अपीलान्ट के हक में पट्टा जारी करने की कार्यवाही जैरकार है । ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार चेचट द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.6.2015 विधि अनुरूप नहीं है ।

जिला कलेक्टर

8. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.6.2015 मि0नं0 12 /2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार चेचट को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि की जांच करते हुए पुनः अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदार किया जाकर विधि अनुरूप नवीन निर्णय पारित करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3-10/10/21

(उज्ज्वल राठौड़)

जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा